संख्या-100/2015/3100/26-3-2015-रिट(25)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-3139(एम.एस.)/2015, शुभम पाठक, बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-16.072014/31.07.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-2230/सक/शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-09.09.2015 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में के.सी.सी.इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, नोएडा की वर्ष 2013-14 की 31 अनुसूचित जाति के छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-24,59,650/- (रूपया चैबिस लाख उन्सठ हजार छः सौ पचास मात्र) एवं सामान्य वर्ग के 12 छात्र-छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-9,54,150/-(रूपया नौ लाख चौवन हजार एक सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के क्रमशः अनुदान संख्या-83 एवं 80 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-100/2015/3100 (1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in